भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4619

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

महाराष्ट्र के ईएसआईसी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी

4619. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में संचालित अस्पतालों में स्पेशलिस्ट/ सुपरस्पेशलिस्ट, चिकित्सा और पराचिकित्सा कर्मचारियों सहित डॉक्टरों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन अस्पतालों में उक्त श्रेणियों के स्वीकृत पदों, वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों और मौजूदा रिक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है और इस कमी के क्या कारण हैं तथा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि ईएसआई अस्पतालों के कुछ डॉक्टर कथित तौर पर निजी प्रैक्टिस में संलग्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा ईएसआई लाभार्थियों को डॉक्टरों की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पतालों में संचालित अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ तथा नर्सिंग और परा-चिकित्सा स्टाफ का सामान्य रूप से अभाव है। महाराष्ट्र सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध पर है। रिक्तियों की स्थिति परिवर्तनीय प्रकृति की है, जो नई नियुक्ति, सेवा-निवृत्ति, क्षयण तथा अन्य कारणों से बदलती रहती है, जो निम्नवत हैं:-

<u>रिक्तियों के कारण:-</u>

(i) ईएसआईसी देशभर में इस योजना का विस्तार करने के उद्देश्य से नियमित रूप से नए अस्पताल खोल रहा है। इन अस्पतालों के लिए जनशक्ति का अनुमोदन रिक्ति की स्थिति को और बढ़ा रहा है।

(ii) मौजूदा अस्पतालों की क्षमता में भी विस्तार हुआ है जिससे नए पदों का अनुमोदन करना पड़ा है।

(iii) देश में जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी(जीडीएमओ), विशेषज्ञ तथा अति विशेषज्ञ चिकित्सकों का सामान्य अभाव है।

(iv) चिकित्सा अधिकारी ईएसआईसी से बाहर बेहतर अवसर की खोज में अथवा उच्च शिक्षा के लिए नौकरी छोड़ देते हैं।

(ग): जी, हां। कुछ ईएसआई अस्पतालों के चिकित्सकों के निजी अस्पतालों से संबद्ध होने की जानकारी प्राप्त हुई है।

(घ): सतर्कता को आदिनांक विभिन्न ईएसआईसी अस्पतालों के 11 चिकित्सकों के विरूद्ध निजी प्रैक्टिस की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से दो मामलों में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ङ): **स्टाफ की कमी का पूरा करने के लिए ईएसआईसी द्वारा उठाए गए कदम:**

जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी(जीडीएमओ), विशेषज्ञ, अति विशेषज्ञ, शिक्षा संकाय तथा नर्सिंग और परा-चिकित्सा स्टाफ के संबंध में नियमित भर्ती की प्रक्रिया पहले ही आरम्भ की गई है/ अंतिम रूप दिया गया है।

<u>वर्तमान स्थिति</u>

(i) ईएसआईसी ने 21 राज्यों में परा-चिकित्सा एवं नर्सिंग संवर्ग के लिए लगभग 2360 रिक्तियों को भरने के लिए 21 दिसम्बर, 2018 को विज्ञापन जारी किया है।

(ii) बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II के 771 पदों को भरने के लिए 5 अक्तूबर, 2018 को विज्ञापन जारी किया गया। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 250 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं तथा दिल्ली/उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में अभ्यर्थियों ने सेवा ग्रहण करना शुरू कर दिया है।

(iii) 19 राज्यों में विशेषज्ञ ग्रेड-II(कनिष्ठ वेतनमान) के 257 पद, विशेषज्ञ ग्रेड-II(वरिष्ठ वेतनमान-अति विशेषज्ञ) के 72 पद भरने के लिए 24 दिसम्बर, 2018 को विज्ञापन जारी किया गया। गुजरात/ मध्य प्रदेश क्षेत्र के परिणाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(iv) क्षेत्र इकाईयों को जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी(जीडीएमओ), विशेषज्ञों तथा तथा शिक्षा संकायों को ठेका आधार पर नियोजित करने के लिए प्राधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं ताकि चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में होने वाली कमी के संकट को दूर किया जा सके।

(v) क्षेत्र इकाईयों को नर्सिंग और परा-चिकित्सा स्टाफ को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में आउटसोर्सिंग आधार पर नियोजित करने के लिए प्राधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं।

*

******

अनुबंध

महाराष्ट्र के ईएसआईसी अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के संबंध में श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4619 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ/ नर्सिंग और परा-चिकित्सा स्टाफ के संबंध में मौजूदा स्थिति

क्रम सं.	राज्य	जीडीएमओ			विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ			परा-चिकित्सा			नर्सिंग			कुल		
		सं.	य.	रि.	सं.	य.	रि.	सं.	य.	रि.	सं.	य.	रि.	सं.	य.	रि.
1	असम	26	16	10	12	10	2	58	43	15	49	39	10	145	108	37
2	बिहार	57	32	25	24	10	14	146	41	105	155	32	123	382	115	267
3	दिल्ली रा.रा.क्षे.	392	246	146	219	140	79	3693	2389	1304	1697	1125	572	6001	3900	2101
4	गुजरात	87	60	27	80	28	52	589	151	438	460	131	329	1216	370	846
5	हिमाचल प्रदेश	40	22	18	21	7	14	113	61	52	96	68	28	270	158	112
6	जम्मू और कश्मीर	26	24	2	12	7	5	94	35	59	50	36	14	182	102	80
7	झारखंड	57	47	10	30	8	22	116	79	37	104	67	37	307	201	106
8	कर्नाटक	87	122	-35	26	47	-21	971	698	273	627	428	199	1711	1295	416
9	केरल	157	64	93	66	39	27	482	410	72	316	352	-36	1021	865	156
10	मध्य प्रदेश	49	33	16	41	17	24	293	143	150	178	114	64	561	307	254
11	ओडिशा	26	17	9	12	7	5	59	40	19	38	33	5	135	97	38
12	महाराष्ट्र	112	72	40	104	25	79	639	238	401	409	156	253	1264	491	773
13	पंजाब	76	55	21	46	26	20	355	202	153	245	194	51	722	477	245
14	राजस्थान	114	62	52	56	30	26	430	190	240	292	160	132	892	442	450
15	तमिलनाडु	83	75	8	20	21	-1	521	318	203	322	231	91	946	645	301
16	तेलंगाना	58	44	14	11	27	-16	665	257	408	249	170	79	983	498	485
17	उत्तर प्रदेश	231	167	64	60	0	60	304	74	230	309	48	261	904	289	615
18	पश्चिम बंगाल	39	40	-1	11	9	2	550	235	315	255	177	78	855	461	394
19	उत्तराखंड	27	0	27	0	0	0	3	4	-1	2	0	2	32	4	28
20	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	2	-2	0	2	-2	0	4	-4
21	छत्तीसगढ़	54	0	54	0	0	0	1	1	0	0	0	0	55	1	54
कुल		**1798**	**1198**	**600**	**851**	**458**	**393**	**10082**	**5611**	**4471**	**5853**	**3563**	**2290**	**18584**	**10830**	**7754**

सं. - संस्वीकृत **य.** – यथास्थिति **रि.** - रिक्ति